

पत्रांक :- भवन/बजट-विभागीययोजना(4059)-01/2023-24 ... 8138 (अ)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 01/9/26

विषय:- भवन निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 7,60,59,498/- (सात करोड़ साठ लाख उनसठ हजार चार सौ अठानवे रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृति।

विद्युत कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल-रु 7,60,59,498/- (सात करोड़ साठ लाख उनसठ हजार चार सौ अठानवे रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई.डी.	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश स0/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-03 पटना	33656	SITC of 1 Nos. MRL Lift of 13 Passenger (G+1), Including five Years Operation & Maintenance at Old sect, Patna. (Make:-Otis, thyssenkrupp, Kone, Schindler.)	148(भ)/01.08. 25	28,05,663/- (अठारह लाख पाँच हजार छः सौ तिरसठ रुपये)
2.	विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-03 पटना	33926	SITC OF 33/0.433KV SUBSTATION ALONG WITH DIESEL GENERATOR SET AT VIKASH BHAWAN, NEW SECRETARIATE, PATNA.	37(भ)/29.07. 24	7,32,53,835/- (सात करोड़ बत्तीस लाख तिरपन हजार आठ सौ पैंतीस रुपये)
कुल योग:-					7,60,59,498/-

(सात करोड़ साठ लाख उनसठ हजार चार सौ अठानवे रुपये)

- उक्त राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-कार्यालय भवन-लघु शीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0101-भवन विपत्र कोड-03-4059010510101 के विषय शीर्ष-53-मुख्य कार्य-0101.53.01-मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।
- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित निर्माण भवन कोषागार, पटना बिहार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक:- 8138 (अ)

पटना, दिनांक:- 01/9/26

प्रतिलिपि:- सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना /कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।